कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक/3232/न्या.लि./कोरोना/2020 रायगढ़, दिनांक 17/04/2020

प्रति,

1. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़
3. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायगढ़ जिला
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़
6. सर्व विभाग प्रमुख, रायगढ़ जिला

विषयः– नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉट्स के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति बाबत्।

संदर्भः– छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर के पत्र क्र. 189/स.सा.प्र.वि./2020, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16/04/2020

–0–

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र संलग्न अवलोकनार्थ प्रेषित है।

विषयांतर्गत लेख है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A) दिनांक 15.04.2020 तथा 16.04.2020 के द्वारा राज्य शासन को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉट्स के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में दिनांक **20 अप्रैल, 2020** से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति के संबंध में उठाये जाने वाले कदमों के संबंध में समेकित एवं संशोधित विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जो इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

जिला क्षेत्रान्तर्गत हॉटस्पॉट्स एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में समय–समय पर जारी सम्पूर्ण निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट्स एवं कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी।

तदानुसार इस संबंध में जिला अंतर्गत 20 अप्रैल,2020 से संलग्न निर्देश के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

Document/ Korona/JC-055

पृ0क्रमांक/3232A/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 17/04/2020

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर उनके पत्र क्र. 189/स.सा.प्र.वि. /2020, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16/04/2020 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ0ग0शासन, गृह विभाग,
3. सचिव, छ0ग0शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
4. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
   -- मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
6. उप संचालक जनसंपर्क, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ अग्रेषित्।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

Document/ Korona/JC-056

पृ0क्रमांक/3232A/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 17/04/2020